तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.01.2024	पत्रावली अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या एकी की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कारण दर्ज किये एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा अनिश्चितकाल के लिए जारी कर दी गई एवं आदेश 39 रूल 3ए की पालना की अवहेलना की है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पो. मनमाने ढंग से भूमि के विशेष भाग पर कब्जा करने एवं अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। न्याय हित में अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जाना जरूरी है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं आलौच्य आदेश दिनांक 19.12.2023 की पालना एवं प्रभावों को स्थगित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश फरमाया जावे। जवाब में केवियटर अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना प्रस्तुत किये बिना सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश दिनांक 19.12.2023 आदेश 39 के प्रावधानों की अवहेलना कर निश्चित अवधि के बजाय अनिश्चित काल के लिए आगामी आदेश तक के लिए जारी कर केवल अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को ही पाबंद किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय हित में उचित है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 19.12.2023 से उभय पक्ष को पाबंद किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रार्थना	

29.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र अन्तर्गत धारा 212 में नियत पेशी दिनांक 27.02.2024 को उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर अग्रिम आदेश पारित करे तथा दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। साथ ही अपीलांट्स को हिदायत है कि वे दिनांक 27.02.2024 से पूर्व विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 29.1.24 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	